

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 137/2017

उनवान

इसराईल पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अजवा का बाडिया  
— वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज  
बनाम

1. नसरुद्दीन पुत्र बशीर,
  2. सुवा पत्नी बशीर,
  3. शमीम पुत्र नसरुद्दीन,
  4. साजिद पुत्र नसरुद्दीन,
  5. माजिद पुत्र नसरुद्दीन,
  6. वाजिद पुत्र नसरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजवा का बाडिया,
  7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
- प्रतिवादीगण :- 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- निर्णय :-

दिनांक :- 10/9/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजवा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी वादी की कदीम से चली आ रही है। वादी उक्त आराजी पर कृषि करता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 खसरा नम्बर 286 पर जबरन हल चला कर फसल काश्त करने पर आतुर है। तथा आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तललब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी में दर्ज हैं प्रतिवादीगण सह खातेदार नहीं हैं।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?  
— वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराज पर विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?  
— वादी
3. अनुतोष ?


अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।  
बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-  
तनकी संख्या 1 व 2 :-

ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर बिना किसी कारण के दखलदांजी की जाती है तो वादी के हित प्रभावित होते हैं। आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.06, 294/0.05 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

इसराईल बनाम नसरुददीन

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 137/2017

पेश करने की दिनांक - 06.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर  
अभिभाषक मुद्दई मसूद परवेज अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व  
डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 286/0.06, 292/0.  
06, 294/0.05 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है प्रतिवादीगण को  
जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में  
दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक — को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक  
को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बावत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बावत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद